

प्रेषक,

उमेश कुमार,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद 1

न्याय अनुभाग-9 बजट

लखनऊ दिनांक 09 जनवरी, 2018

विषय- मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के गोमतीनगर लखनऊ में निर्मित नवीन न्यायालय परिसर के साफ-सफाई हेतु मशीन के क्रय के लिए धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ निबन्धक मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के पत्र सं0-5361/2016, दिनांक 20 जुलाई, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के गोमतीनगर लखनऊ में निर्मित नवीन न्यायालय परिसर के साफ-सफाई हेतु मशीन के क्रय के लिए ₹040.50 लाख की धनराशि पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ ₹0 ₹040.50 लाख (₹0 चालीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- धनराशि आहरित करने के पूर्व मशीन के क्रय की आवश्यकता/औचित्य के विषय में समस्त विन्दुओं पर विचार कर अपेक्षित स्तर पर निर्णय लेते हुए अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा ।
- 2- साफ-सफाई हेतु मशीन का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अद्यतन निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा ।
- 3- उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराने हेतु महानिबन्धक उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अधिकृत किया जाता है ।
- 4- मशीन के क्रय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे नियमानुसार राजकोष में जमा करा दिया जायेगा ।
- 5- प्रश्नगत धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
- 6- धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2018 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक " 2014-न्याय प्रशासन- 00-102- उच्च न्यायालय -03- उच्च न्यायालय -00- 26- मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र " के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-12- 14/दस-2018, दिनांक 04 जनवरी,2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(उमेश कुमार)

प्रमुख सचिव

सं0- 12 / 2017/ 1762 (1)/सात-न्याय-9(बजट)-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- वरिष्ठ निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन, इलाहाबाद ।
- 4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 5- वित्त ई-12 ।
- 6- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(सन्त लाल)

उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।